सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2025 / 495 दर्ज तिथिः–17.07.2025

1. खेताराम पुत्र चिमनाराम
2. प्रभूराम पुत्र चिमनाराम
3. भूराराम पुत्र चिमनाराम
4. रामाराम पुत्र चिमनाराम
   जाति कुम्हार प्रजापत निवासी सनावड़ा खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. आसुराम पुत्र डायाराम
2. ओमप्रकाश पुत्र भेराराम
3. नरसीराम पुत्र डायाराम
4. मोहनीदेवी पत्नी भेराराम
   जाति सुथार निवासी सनावड़ा खुर्द तहसील गुड़ामालानी बाड़मेर
5. मैनेजर एस0बी0आई बैक गुड़ामालानी
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.................विप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री हरीश चौधरी
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251ए
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–21.11.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी 34 / 3 / 5. 5037 है0 वाके ग्राम सनावड़ा खुर्द पटवार हल्का बांटा में अवस्थित है। प्रार्थी की आराजी तक पहुँच के प्रयोजन के लिए अप्रार्थीगण की आराजी हाल खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.15 10:22:39 IST
Reason: SelfAttested

35/7.4219 है0 वाके ग्राम सनावड़ा खुर्द पटवार मण्डल बांटा से होते हुए आवागमन करते आए हैं। परंतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी में फसल करने से प्रार्थी का रास्ता अवरूद्ध हो जाता है। इससे रास्ते को लेकर भारी विरोध रहता है एवं झगड़े की संभावना बनी रहती है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की आराजी तक वर्तमान में कोई रिकॉर्डेड रास्ता चालू नहीं है। अतः खसरा संख्या 35/7.4219 है0 वाके ग्राम सनावड़ा खुर्द पटवार मण्डल बांटा तहसील गुड़ामालानी के दक्षिण—पश्चिम सेढे से होकर प्रार्थी की आराजी तक नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु अनुतोष चाहा गया है। अंत में प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण उपस्थित न्यायालय होकर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा परिशिष्ट 'ब' पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते के रूप में उपयोग में आने वाली भूमि के बदले में विप्रार्थीगण को सेढ़ा—सेढ़ रास्ते के उपयोग की क्षतिपूर्ति भूमि दी जा कर रास्ता दर्ज करवाने की सहमति प्रदान की गई है। परिशिष्ट—ब के अनुसार रास्ता दर्ज कर बदले में बरंग बैगनी भूमि को क्षतिपूर्ति के रूप में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज की जावे।

3. प्रकरण में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से तहसीलदार से मौका रिपोर्ट अपेक्षित नहीं है। प्रकरण में प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण को इस शर्त पर रास्ता दिये जाने पर सहमति प्रदान की कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को खसरा संख्या 35 के उत्तर—पश्चिमी सेढ़े पर बरंग बैंगनी रास्ते के बदले में क्षतिपूर्ति भूमि दी जावे। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य सहमति से प्रस्तुत परिशिष्ट—ब का अवलोकन पर पाया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का खेत सेढ़ासेढ़ है। प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 35 से चाहा गया रास्ता बरंग हरा एवं रास्ते के बदले में क्षतिपूर्ति भूमि खसरा संख्या 34/3 बरंग बैंगनी भूमि रास्ते के रूप में दी जाकर रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

निष्कर्ष

6. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता होने से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपसी राजीनामा परिशिष्ट 'ब' प्रस्तुत किया गया है। परिशिष्ट 'ब' के अनुसार रास्ता प्रस्तावित बरंग हरा एवं रास्ते के बदले में प्रस्तावित क्षतिपूर्ति भूमि बरंग बैंगनी से अंकित प्रस्तावित मार्ग से रास्ता मय परिशिष्ट 'ब' के अनुसार प्रस्ताव लघुत्तम मार्ग बतौर 06 मीटर चौडाई का गैर मुमकिन रास्ता नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थी उक्त नवीन रास्ते में समाहित हुई अप्रार्थीगणों की खातेदारी आराजी के बदले समान अवस्थिति पर समान रकबे व गुणवत्ता की भूमि का

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.15 10:22:39 IST
Reason: SelfAttested

विकल्प उपलब्ध करवाएं उक्त प्रस्तावित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में कलमजन की जाकर अप्रार्थीगणों की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड की जावे। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क के अन्तर्गत प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपसी राजीनामा परिशिष्ट 'ब' प्रस्तुत किया गया है। परिशिष्ट 'ब' के अनुसार खसरा संख्या 35 मौजा सनावड़ा खुर्द तहसील गुड़ामालानी में प्रस्तावित रास्ता बरंग हरा एवं रास्ते के बदले में प्रस्तावित क्षतिपूर्ति भूमि खसरा संख्या 34/3 मौजा सनावड़ा खुर्द तहसील गुड़ामालानी में बरंग बैंगनी मय परिशिष्ट 'ब' के अनुसार प्रस्ताव लघुत्तम मार्ग बतौर 06 मीटर चौडाई का गैर मुमकिन रास्ता नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा आपसी सहमति से प्रस्तुत परिशिष्ट 'ब' में हरा रंग से अंकित प्रस्तावित मार्ग के रास्ते में आयी भूमि के एवज में परिशिष्ट 'ब' में बैंगनी रंग से अंकित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को कलमजन करते हुए अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में दर्ज करते हुए नियमानुसार उक्त नवीन रास्ते को खाता संख्या—1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावें। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा सहमति से प्रस्तुत परिशिष्ट 'ब' व राजनीनाम सहमति निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 21.11.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.15 10:22:39 IST
Reason: SelfAttested